घसीता साहु

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक याचिका सं.184/2008)

28 जनवरी, 2008

(एस.बी. सिन्हा एवं वी.एस. सिरपुरकर ,जे.जे.)

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी प्रदार्थ अधिनियम, 1985

धारा 42, 50 और 51- घर की तलाशी - अनुसंधान अधिकारी के द्वारा धारा 42 के तहत शर्तों का अनुपालन - कमरे से 17.750 किलोग्राम गांजा की बरामदगी- मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का आरोपी का अधिकार- ऐसे अधिकार के उल्लंघन का आरोप - अभिनिर्धारित - अधिकार उपलब्ध है जहाँ तलाशी आरोपी व्यक्ति की है -चूंकि तलाशी उसके घर की थी, किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ- दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया -अधीनस्थ न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई - यह मानते हुए कि अभियुक्त मध्यम आयु वर्ग का था और गरीब पृष्ठभूमि से आता था, 5 साल की सजा को घटाकर पहले ही भुगती सजा में बदल दी गई - सजा/सजा- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 100

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि सूचना प्राप्त होने पर अनुसंधान अधिकारी पी डब्लू-6 ने अपीलकर्ता के घर की तलाशी ली और तलाशी में एक कमरे से एक बोरे में 17.750 किलोग्राम गांजा रखा हुआ पाया। तलाशी लेने से पहले, उन्होंने अपीलार्थी को राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प दिया। हालाँकि, अपीलार्थी ने ऐसा कोई विकल्प नहीं चुना और पीडब्लू.6 के नेतृत्व में तलाशी दल को तलाशी के लिए सहमति दी। पीडब्लू 6 और पीडब्लू.1 के बयान और पंचनामा पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी को दोषी पाया गया और मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 सपठित धारा 20(b)(ii) के तहत दोषसिद्ध किया गया। उसे 05 साल का कठोर कारावास की सजा और 20,000/- का जुर्माना भुगतने हेतु निर्देशित किया गया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील करते हुए अपीलार्थी ने तर्क दिया कि तलाशी अपने आप में अवैध थी क्योंकि तलाशी के लिए पंचों ने इसका समर्थन नहीं किया था और वे स्थानीय पंच नहीं थे। उसे पुलिस के कहने पर झूठा फंसाया गया था और अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान के अनुसार राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने के अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए सजा में संशोधन किया।

अभिनिधार्रित 1- दोनों पंचों पी.ड.4 व पी.ड. 5 को यह नहीं बताया गया था कि वे स्थानीय पुलिस के साधारण पंच व गवाह थे और उस क्षेत्र के निवासी नहीं थे, जहां से गांजा बरामद हुआ था। पी.डब्ल्यू.6 को पंचों के स्थानीय पंच होने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है कि अनुसंधान अधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार सभी सावधनियां बरती है। धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता (पैरा 4) (98-जी,एच, 99-ए बी)

2. बहुत दिलचस्प बात यह है कि गवाह को झूंठे आरोप लगाने का सुझाव बिल्कुल नहीं दिया गया था। प्रतिपरीक्षा में किसी भी सुझाव या सामग्री के अभाव में इस तरह की कमजोर दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है। (पैरा 5) (99-सी)

3. मुख्य परीक्षा में और प्रतिपरीक्षा में गवाह ने विशेष रूप से कहा था कि अपीलार्थी को मुखबिर से प्राप्त सूचना के बारे में सूचित किया गया था और उससे पूछा गया था कि किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा तलाशी ली जाये या पुलिस स्वयं ऐसा कर सके। भाषा को ध्यान में रखते हुए घर की तलाशी को किसी भी तरह से गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता है। (पैरा 6) (99-ई, एफ,जी)

4. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी प्रदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 51 में विशेष रूप से यह प्रावधान किये गये है कि दंड प्रक्रिया संहिता के

प्रावधान इस प्रकार से लागू होंगे जहां तक कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी वारंटों, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती के लिए अधिनियमों के प्रावधानों से असंगत हैं। केवल मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का अधिकार प्रतिबंधित है। जहाँ तलाशी आरोपी व्यक्ति की ली जानी है। इस मामले में तलाशी एक घर की थी इसलिए अनुसंधान अधिकारी को धारा 42 अधिनियम की शर्तों के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत शर्तों का पालन करना था, इसलिए, यह तर्क कि उपरोक्त तलाशी के संबंध में अभियुक्त के पास कोई अधिकार था और उस अधिकार का उल्लंघन किया गया, पूरी तरह से गलत है । (पैरा 7) (99-एच, 100- ए बी)

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार (2005) 4 एससीसी 350, पर निर्भर।

5.यह देखते हुए कि आरोपी एक अधेड़ उम्र का आदमी है और गरीब पृष्ठभूमि से आता है जैसा कि वकील द्वारा दावा किया गया है, उसकी पाँच साल की सजा पहले से भुगती गई सजा में संशोधित है। जुर्माने की राशि भी 20,000/-रूपये से घटाकर 10,000/- कर दिया गया और जुर्माने का भुगतान न करने पर अभियुक्त को 06 माह की कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। (पैरा 8) (100-ई)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 184/2008

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के क्रिमीनल अपील नंबर 1344/2004 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.7.2005 से।

अपीलार्थी के लिए संगीता कुमार और शिवांगी थगला, प्रत्यर्थी की ओर से गोविंद गोयल, सी. डी. सिंह, मारू सागर सामंत रे, वैराग्य वर्धन, सनी चौधरी और राम नरेश यादव।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वी. एस. सिरपुरकर द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985,(जिसे बाद में एनडीपीएस एक्ट संदर्भित किया गया है) की धारा 8 सपठित धारा 20(b) (ii) के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है। जिसे कि उच्च न्यायालय के द्वारा सम्पुष्ट किया गया।

3. पूर्व सूचना पर अरुण पांडे (पीडब्लू6) ने अपीलार्थी के घर की तलाशी ली और 17.750 किलोग्राम गांजा पाया। तलाशी लेने से पहले अनुसंधान अधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। तलाशी के समय, अपीलार्थी जानकारी के साथ-साथ प्रस्तावित खोज से भी अवगत कराया गया था और राजपत्रित

अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प भी दिया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी ने ऐसा विकल्प नहीं चुना था और अनुसंधान अधिकारी अरुण पांडे (पीडब्लू 6) के नेतृत्व में तलाशी दल को तलाशी के लिए सहमति दी। उसके एक कमरे से गांजा (17.750 कि. ग्रा.) जब्त किया गया और नमूने लेने के बाद, बाकी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए मालखाना भेज दिया गया। नमूना पैकेजों को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गये जहां इसकी पुष्टि हुई कि यह गांजा था। जांच पूरी होने पर अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया। अपीलार्थी ने दोषी नहीं होने की दलील ली। हालांकि, अरुण पांडे (पीडब्लू 6) और शिव कुमार (पीडब्लू 1) के बयान और पंचनामा सहित दस्तावेजात पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी को दोषी पाया गया और आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया। उसे पाँच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। उसे 20,000/- का जुर्माना अदा करने हेतु एवं जुर्माना न भरने पर एक साल के कठोर कारावास भुगतने हेतु निर्देशित किया गया। इस सजा को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सबूतों पर गौर करने के बाद दोषसिद्धि व सजा की पुष्टि की। जिससे वर्तमान अपील पेश करने की आवश्यकता हुई।

4. सबसे पहले अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि तलाशी स्वयं अवैध थी क्योंकि तलाशी के लिए पंचों ने इसका समर्थन नहीं किया था और दूसरा यह कि वे स्थानीय पंच नहीं थे। इसलिए, हमें दो पंचों राजू

(पीडब्लू 4) और संजू तिवारी (पी डब्लू 5) की साक्ष्य से अवगत कराया गया। हमने उनकी साक्ष्य को ध्यान से अवलोकन किया इन दोनों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है, यहां तक की इन्होंने अभियुक्त की पहचान करने से भी इनकार कर दिया है। उनकी साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि वे स्थानीय पंच नहीं थे। यहाँ तक कि दूर दूर तक यह भी सुझाव नहीं दिया गया था कि वे स्थानीय पुलिस के सामान्य पंच व स्टॉक गवाह थे और उस क्षेत्र के निवासी नहीं थे, जहाँ से गांजा बरामद किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने अरुण पांडे (पीडब्लू 6) की साक्ष्य पर भरोसा करने की कोशिश की। हालाँकि पंचों के स्थानीय पंच नहीं होने के संबंध में उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसंधान अधिकारी ने धारा 100 दप्रस के अनुसार सभी सावधानियां बरती गई हैं। इसलिए इस तर्क को खारिज कर दिया जाता है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने दूसरा सुझाव दिया कि वास्तव में अभियुक्त की (पीडब्लू 6) के द्वारा संचालित पुलिस जीप से दुर्घटना हुई थी और इसलिए, पुलिस के कहने पर उन्हें झूंठा फंसाया गया था। बहुत दिलचस्प बात यह है कि गवाह को इस प्रकार का सुझाव ही नहीं दिया गया। जिरह में किसी सुझाव या सामग्री के अभाव में ऐसी कमजोर दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है।

6. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने यह सुझाव देने का प्रयास किया कि अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 42 के संबंध में राजपत्रित अधिकारी की

उपस्थिति में तलाशी लेने के अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई । हमारे द्वारा साक्ष्य का ध्यानपूवर्क अवलोकन किया गया। एक विशिष्ट प्रश्न के लिए :-"घटनास्थल पर आपने अभियुक्तों से क्या कहा?", गवाह का उत्तर है : "मैंने उससे कहा कि हमें मुखबीर से सूचना मिली है कि तुम्हारे घर में गांजा छिपा हुआ है और मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी । यदि आप चाहते हैं कि तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हो या मैं खुद तलाशी लूं तो कोई आपत्ति नहीं है।" इससे पहले भी मुख्य परीक्षण में गवाह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था "घसीटा साहू को मुखबिर से प्राप्त जानकारी के बारे में सूचित किया गया और उससे पूछा गया कि क्या वह चाहता है कि कोई मजिस्ट्रेट तलाशी ले या पुलिस ऐसा स्वयं कर सकती थी। विद्वान अधिवक्ता यह सुझाव देना चाहते है कि अभियुक्त को उसके अधिकार की जानकारी देने का यह तरीका नहीं है। दुर्भाग्य से, गवाह के सामने ऐसा कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं रखा गया था और हमारी राय में भाषा पर विचार करते हुए, घर की तलाशी को किसी भी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता है।

7. सबसे पहले तो इस मामले में आरोपी के ऐसे किसी अधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। अधिनियम की धारा 51 विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान तब लागू होंगे जब तक वे इस अधिनियम के तहत सभी वारंटों, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती के लिए अधिनियम के प्रावधानों से असंगत हो। यह अधिकार की तलाशी केवल

मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में ली जाएगी वहां प्रतिबंधित है, जहां कि तलाशी आरोपी-व्यक्ति की ली जानी है। इस मामले में तलाशी एक घर की थी और इसलिए अनुसंधान अधिकारी को अधिनियम की धारा 42 के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत शर्तों का पालन करना था। इसलिए यह तर्क कि अभियुक्त के पास उपरोक्त तलाशी के संबंध में कोई अधिकार था और उस अधिकार का उल्लंघन किया गया है, पूरी तरह से गलत है। विधि की यह स्थापित स्थिति है कि यह शर्त धारा 50 के तहत तभी लागू होगी जहां तलाशी आरोपी "व्यक्ति" की होती है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार (2005) 4 एस सी सी 350 -

इस मामले में तलाशी उस "व्यक्ति" की न होकर उसके घर की हुई है।

8. हालाँकि, विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि गांजे की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम थी, अल्प मात्रा से अधिक थी और आरोपी अपनी गिरफ्तारी के बाद से सलाखों के पीछे है और उसने जेल में लगभग चार साल पूरे किये है। जैसा कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि आरोपी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है और गरीब पृष्ठभूमि से आता है, पर विचार करने के पश्चात, हम उसकी पांच साल की सजा को पहले ही भुगती जा चुकी सजा में संशोधित करने का विकल्प चुनते है तथा

हम जुर्माने की राशि 20,000/- से घटाकर 10,000/- करते हैं और जुर्माने का भुगतान न करने पर अभियुक्त को छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इस संशोधन को छोड़कर, अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अखिलेश कल्याण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।